

अनुदान संख्या 68 - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1146,88,00		
			1309,69,00	1294,88,92
				-14,80,08
पूरक	Supplementary	162,81,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			8,00,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	65,50,00		
			70,50,00	70,32,75
				-17,25
पूरक	Supplementary	5,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	2838.00		
			2663.00	2540.40
				-122.60
पु.	R.	-175.00		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	12000.00		
			0.22	..
				-0.22
पु.	R.	-11999.78		
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy			
मू.	O.	97910.00		
पू.	S.	16281.00	125505.78	124948.52
पु.	R.	11314.78		-557.26

(I) ₹12100.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹12000.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रिड अंतःक्रिया और वितरित नवीकरणीय विद्युत” -

(क) “ग्रिड अंतःक्रिया नवीकरणीय विद्युत” - ₹5500.00 लाख;

(ख) “ग्रिड से पृथक/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” - ₹3500.00 लाख;

(खा) “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” -

(क) “दूरस्थ गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” - ₹2500.00 लाख; और

(ख) “सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” - ₹500.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय” के अंतर्गत ₹275.97 लाख की बचत (₹2763.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2810” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - एस टी, एसपीवी और अन्य आरई प्रणालियां” - ₹307.88 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सौर विद्युत परियोजना चालू किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹12100.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹12000.00 lakhs accounted for under Major Head “2552”-under the following heads:-

(A) “New and Renewable Energy-Grid Interactive and Distributed Renewable Power”-

(a) “Grid Interactive Renewable Power”- ₹5500.00 lakhs;

(b) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power”- ₹3500.00 lakhs;

(B) “New and Renewable Energy- Renewable Energy for Rural Applications”-

(a) “Renewable Energy for Remote Villages”- ₹ 2500.00 lakhs; and

(b) “Renewable Energy for all Villages”- ₹ 500.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of New and Renewable Energy” - saving of ₹275.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2763.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head “2810” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Renewable Energy for Urban, Industrial and Commercial Applications - ST, SPV and Other RE Systems”– saving of ₹307.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to delay in commissioning of solar power project.

(खा) “नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास - अनुसंधान संस्थाएं/केंद्र (एमएनआरई संस्थाओं: एसईसी, सी-डब्ल्यूईटी, एनआईआरई सहित)” - ₹107.15 लाख की बचत (₹2150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना पूरी होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(गा) “सहायक कार्यक्रम (घरेलू सहायता) - निगरानी/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन” - ₹149.29 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए अध्ययन न किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹180.82 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 25 प्रतिशत थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3215.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2810” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” - ₹1500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1499.00 लाख था।

(खा) “नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास” - ₹1715.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1664.21 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2810” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिस्तुलित हो गईं:-

(का) “ग्रिड अंतःक्रिया और वितरित नवीकरणीय विद्युत” -

(क) ग्रिड अंतःक्रिया नवीकरणीय विद्युत - ₹4609.13 लाख का अधिक व्यय (₹22900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिपक्व निजी और राज्य सरकार लघु पन-बिजली परियोजना को सहायिका जारी किए जाने संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधित स्कीमों

(B) “Research, Design and Development in Renewable Energy - Research Institutions/Centres (Including MNRE Institutions: SEC, C-WET, NIRE)” - saving of ₹107.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2150.00 lakhs) was due to delay in completion of project.

(C) “Supporting Programmes (Domestic Support) - Monitoring/Evaluation and other Studies” - saving of ₹149.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-conducting of new studies.

(IV) Under two heads savings of ₹180.82 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent and 25 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹3215.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2012 under Major Head “2810” - under the following heads:-

(A) “Renewable Energy for Rural Applications- Renewable Energy for all Villages” - ₹1500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1499.00 lakhs.

(B) “Research, Design and Development in Renewable Energy-R&D in New and Renewable Energy Technologies” - ₹1715.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1664.21 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2810” under the following heads:-

(A) “Grid Interactive and Distributed Renewable Power”-

(a) “Grid Interactive Renewable Power” - excess of ₹4609.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22900.00 lakhs) was due to the requirement of additional funds to meet expenses for release of subsidy to matured Private and State Government Small Hydro

पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Power project and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) “ग्रिड से पृथक/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” - ₹3095.71 लाख का अधिक व्यय (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹16080.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹56280.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत सहायिकी की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power” - excess of ₹3095.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹56280.00 lakhs including supplementary grant of ₹16080.00 lakhs obtained in November, 2011) was due to requirement of additional funds towards reimbursement of capital subsidy and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) “ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - दूरस्थ गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” - ₹811.20 लाख का अधिक व्यय (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) “Renewable Energy for Rural Applications-Renewable Energy for Remote Villages”- excess of ₹811.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जहां समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

(III) Under one head excess of ₹100.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.